

१४७५-२

प्रारूप-2

कर्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रांगणशिक्षा भरतपुर

पत्रांक - जिल्हा | दास्ति | भरत | मान्यता | २०१२ | ५९०

दिनांक 23/11/12

प्रबन्धक: श्रीली डाउडस कॉन्वेन्ट स्कूल, नोवर्ड

विषय - निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय / महोदया.

महोदय / महोदया.
आपके दिनाकर के आवेदन और इस सम्बन्ध में दिवालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं होली डाउनस्ट्री कॉन्वेन्ट एक्स्प्रेस, नई दिल्ली (विधालय का नाम पते सहित) को दिनाकर से ३।।३।।३ तक तीन वेप की अवधि के लिए कदा। से कक्ष ४ तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की मसूदगता देता हूँ। उपरोक्त स्थीकृति निम्नलिखित शर्तों को परा किए जाने के अध्यर्थीन हैं-

- किए जाने के अधीन है-

 - 1 मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
 - 2 विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-09 (उपायद्वय-1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपायद्वय-2) के उपबन्धों द्वा ग्रालन करेगा।
 - 3 विद्यालय कक्षा-1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमज़ोर वर्गी और अलाभग्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
 - 4 पैसा-3 निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्वियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैनंदिन खाता रखेगा।
 - 5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्फीनिंग पक्षिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
 - 6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रदेश जन्म सीन, धर्म, जाति या प्रजाति या हन्में किसी एक उपबन्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती ढाढ़ा गया है।
 - 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि-
 1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निकाला नहीं किया जायेगा।
 2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई घोड़ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम ४३ के अधीन अधिकारित किए अनुसार एक प्रमाण प्रदान किया जायेगा।
 5. अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निश्चितता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले किशार्ट्स का समावेश किया जाना।

६. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्डताएँ के साथ की जाती है, परन्तु और इह कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्राप्ति ग्रन्थ न्यूनतम अर्डताएँ नहीं हैं, वाच तर्ह की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्डताएँ अर्दित करेंगे।
७. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्विष्ट आपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
८. अध्यापक स्वयं किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
९. विद्यालय सभुधित प्राधिकारी द्वारा अधिकारिक पाठ्यचर्चा के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
१०. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकारित विद्यालय में उपरक्ष्य प्रसुदियाओं के अनुपात ने विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
११. "विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यशानिर्विष्ट विद्यालय के मानकों और सनियनों को बनाए रखेंगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की शार्ह प्रसुदियाएँ निम्नानुसार रखेंगी -

विद्यालय परिसर का क्षेत्र - 192.00 एकड़ी

कुल निर्मित क्षेत्र - 1200 एकड़ी

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल - 750 एकड़ी

कक्षा कमरों की संख्या - 8

प्रधानाध्यापक - सह कार्यालय - सह भण्डार कक्ष - 2

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - 1/2

पेयजल सुविधा - 1/2

मिठ डे भील पकाने के लिए रसोई - 1/2

बाधा रहित पहुँच - 1/2

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूदस्पर्कसे/पुस्तकालय की उपलब्धता - 1/2

११. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं बनाई जाएंगी।

१२. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

१३. विद्यालय को साजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या साजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा सकता है।

१४. विद्यालय को व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्डी अन्य व्यवित्रयों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा सकता है।

१५. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण को एक ग्रन्ति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) अरतपुर को भेजी जानी चाहिए।

१६. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड क्रमांक 999 है। कृपया इसके नोट कर लें और इस विद्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना पस्तुत करता है जो समय-समय पर निवेशक प्रारंभिक शिक्षा, साजस्थान, वीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) अरतपुर द्वारा अपेक्षित हो और साज्य संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों की पालन करता है, जो मान्यता संबन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण छोटी कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

१७. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई डॉ. को सुनिश्चित किया जाए।

१८. संलग्न उपाधन-गा ये अनुसार अन्य कोई शर्त।

20/9/2011
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर